# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
## पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

| मुकदमा नम्बर | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 18/2020 | 09–10–2020 | 01/04/22 |

**बउनवान :–**

01. धनपति पत्नी सुमेरसिंह जाति अहीर निवासी ग्राम खानपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज.) हाल काश्तकार ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज)

———:: प्रार्थी

**ब ना म**

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार पैरोकार भूमिधारी तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. जाहरसिंह पुत्र ताराचन्द
03. महावीर पुत्र रामलाल
04. मातादीन पुत्र काशीराम
05. नरसी पुत्र केसा जाति अहीर निवासीगण ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)

———:: अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

**–:: निर्णय ::–**

पत्रावली आज पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.25 है0 416 रकवा 0.03 है0, 417 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। प्रार्थीयां अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल चली आ रही है तथा मौके पर प्रार्थीयां का उक्त वर्णित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। मिन प्रार्थीयां की आराजी में साथ अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 4 की जमीन आराजी खसरा नम्बर 411, 415, 418, 419 लगती हुई है, जो आये दिन मिन प्रार्थीयां को उसकी खातेदारी की भूमि के हिस्से पर कब्जा कर अपनी भूमि में मिलाने के लिए प्रयासरत रहे है। जिस पर प्रार्थीयां ने अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार तिजारा को आवेदन पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया। तहसीलदार तिजारा के पत्र कमांक 8 दिनांक 12.06.2019 की अनुपालना में दिनांक 03.10.2020 को हल्का पटवारी व कानूनगों मौके पर आराजी का सीमाज्ञान व पैमाईश करने लगें तो आराजी खसरा नम्बर 415 की मेड पर वने त्रिपटा को मुमकिन प्वाईंट मानकर चैन चलाई तथा प्रार्थीयां के उपरोक्त खसरा नम्बरान की पैमाईश का कार्य किया तो प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 417 रकवा 0.03 है0 आराजी खसरा नम्बर 418 व 419 में मिला व प्रार्थीयां की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 412 का रकवा 0.01 है0 आराजी खसरा नम्बर 411 में निकला व निशानात लगाये गये तथा ग्रामवासियान व सरपंच की उपस्थित में उनके हस्ताक्षर कराये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगों ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष पेश की है। जिसकी प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 लडाका मुठमर्द किस्म के आदमी है, जो कानून

कायदें की कतई परवाह नहीं करते है, जो जबरन उक्त आराजी में घुसकर मजाहमत व मदाखलत उत्पन्न करते है व प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि पर कब्जा कर अपनी आराजी में मिलाया हुआ है और प्रार्थीयां की अन्य आराजी को भी अपनी आराजी में मिलाना चाहते है व अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है। जबकि अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 का मिन प्रार्थीयां की उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 5 गैर काबिज, गैर वास्ता आराजी है। इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 03.10.2020 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.25 है0 416 रकबा 0.03 है0, 417 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर का पूर्ण रकबा करवाकर प्रार्थीयां की खातेदारी की भूमि की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 अनुपस्थित रहे है प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 4 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार भूमिधारी तहसीलदार तिजारा एक फोरमल पक्षकार है कोई राजहित निहित नहीं है। अप्रार्थी अधिवक्ता 5 उपस्थित जरिये वकील है। अप्रार्थी संख्या 5 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 03.10.2020 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 412 रकबा 0.25 है0 416 रकबा 0.03 है0, 417 रकबा 0.92 है0 वाके ग्राम मौसमपुर तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)